THE MINISTER STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) The number of cases finally decided by the Indian Council of Arbitration, fee charged from the parties and annual expenditure of the Council during the last three years are as under:

	1992-93	1993-94	1994-95
No. of cases	16	30	25
Fee charged (in Rs. lakhs)	2.13	9.91	8.97
Annual working expenditure (in Rs. lakhs)	16.57	16.94	19.00*

*Unaudited.

Indian Council of Arbitration has been providing an institutionalised mechanism for smooth and quick settlement of international and domestic trade disputes.

वर्ष 1994-95 के दौरान गेहूं और चावल का निर्यात

*554. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान गेहूं और चावल का कुल कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इससे कितनी आय अर्जित हुई; और

(ख) गेहूं और चावल का निर्यात किन-किन देशों को किया गया?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) वर्ष 1994-95 (अप्रैल, 94 - जनवरी, 95) के प्रथम 10 महीनों की उस अवधि के दौरान, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, निर्यातित गेहूं और चावल की कुल मात्रा तथा मूल्य निम्नानुसार रहा—

(मात्रा - मी०टन)
(मूल्य - करोड़ रु०)

वस्तु	मात्रा	मूल्य
(1) गेहं	42739	74.37
(2) चावल (बासमती)	389497	691.10
(3) चावल (गैर-बासमती)	154175	144.49

(स्रोतः डी०जी०सी०आई० एण्ड एस० कलकत्ता)

(ख) निर्यात के देशवार ब्यौरे वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कलकत्ता के मासिक बुलेटिनों में दिए गए हैं जिनकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के लिए दिया गया किराया

*555. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गत वर्ष के दौरान गोदामों के किराये के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किराये पर लिये गए इन गोदामों का उपयोग नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गोदामों के किराये के रूप में वर्ष 1994-95 के दौरान 115.20 करोड़ रुपये वहन

किए जाने का अनुमान है। राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(आंकडे लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम/क्षेत्र	किराया
1.	पंजाब	2985.18
2.	हरियाणा	545.59
3.	उत्तर प्रदेश	1967.13
4.	राजस्थान	370.06
5.	दिल्ली	35.12
6.	हिमाचल प्रदेश	21.99
7.	आन्ध्र प्रदेश	1909.86
8.	तमिलनाडु	319.79
9.	कर्नाटक	394.12
10.	केरल	11.66
11.	मध्य प्रदेश	733.23
12.	महाराष्ट्र	736.22
13.	गुजरात	459.53
14.	असम	84.59
15.	बिहार	176.51
16.	उड़ीसा	341.72
17.	पश्चिम बंगाल	360.32
18.	एन०ई०एफ०	67.58
	जोड़	11520.20

(ग) जी, नहीं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान किराये पर ली गई क्षमता के इस्तेमाल का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	ढकी हुई क्षमता के इस्तेमाल की प्रतिशतता	कैप क्षमता के इस्तेमाल की प्रतिशतता	समूची इस्तेमाल की प्रतिशतता
1992-93	83%	45%	81%
1993-94	89%	75%	87%
1994-95	88%	77%	85%

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Scholarship to the Children of Beedi Workers

*556. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of LABOUR be pleased to state: (a) which are the States and Union Territories where the schemes for the payment of scholarship to the children of beedi workers havae been implemented; and

(b) the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P.A. SANGMA): (a) The scheme of granting scholarship to the children of beedi workers is being implemented in all the beedi producing States.

(b) A Statement showing the number and amount of scholarships paid in various States during the year 1993-94, is enclosed.

Statement

Showing number of scholarship granted and the amount paid to the children of Beedi Workers in various states during 1993-94.

Name of the States	No. of scholarship granted	Amount paid
Uttar Pradesh	3.808	Rs.15,15,500
Karnataka	15,179	Rs.61,42,500
Kerala	4,858	Rs.19,07,500
Rajasthan	2,843	Rs.11,22,500
Gujarat	3,011	Rs.13,00,250
Orissa	2,397	Rs.9,98,450
West Bengal	9,257	Rs.36,36,100
Assam	96	Rs.42,500
Tripura	19	Rs.8,300
Andhra Pradesh	13,764	Rs.48,01,000